

Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

Section 6 : Projected revenue for any year

The projected revenue for any year in a State shall be calculated by applying the projected growth rate over the base year revenue of that State.

Illustration—If the base year revenue for 2015-16 for a concerned State, calculated as per section 5 is one hundred rupees, then the projected revenue for financial year 2018-19 shall be as follows—

Projected Revenue for 2018-19 = $100 (1+14/100)^3$

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 6 : किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व

राज्य में किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित वृद्धि-दर को लागू करके संगणित किया जाएगा।

दृष्टांत : यदि किसी सम्बद्ध राज्य के लिए 2015-16 के लिए धारा 5 के अनुसार संगणित आधार वर्ष राजस्व एक सौ रूपए है तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व निम्नानुसार होगा :

$$2018-19 \text{ के लिए अनुमानित राजस्व} = 100(1+14/100)^3$$
